# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 120 / 2015

1. बलविन्द्रसिंह
2. सुखविन्द्रसिंह
3. प्रेमसिंह

} पिसरान मेजासिंह

4. जगविन्द्रसिंह पुत्र जगराजसिंह

} अकवाम जटसिख निवासीगण शरकज नहर ढ़ाणी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थीगण

बनाम

1. शीलोबाई
2. भरावांबाई
3. गुड्डी बाई
4. ककणोबाई
5. छिन्दोबाई
6. बबली
7. मंगलसिंह

} पिसरान मालासिंह पुत्र लहणासिंह जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. सरोजबाई आत्मज मालसिंह आत्मज लहणासिंह जाति रायसिख निवासी पक्की लाल दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. सुमित्रा पत्नी मुख्त्यारसिंह जाति रायसिख पुत्री दमनसिंह जाति रायसिख निवासी पक्की हाल बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। –रेस्पोंडेंटान

(2) अपील संख्या 128 / 2015

चरणजीत सिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी सरकज नहर पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद सेतिया फार्म वार्ड नं. 20 श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

8/1/18

बनाम

1. शीलोबाई
2. भरावांबाई
3. गुड्डी बाई
4. ककणोबाई
5. छिन्दोबाई
6. बबली
7. मंगतसिंह

(1 से 7) पिसरान मालासिंह पुत्र लहणासिंह जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. सरोजबाई आत्मज मालसिंह आत्मज लहणासिंह जाति रायसिख निवासी पक्की लाल दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. सुमित्रा पत्नी मुख्त्यारसिंह जाति रायसिख पुत्री दमनसिंह जाति रायसिख निवासी पक्की हाल बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेंटान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 20.04.2015

उपस्थितः—

श्री बचनसिंह अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 120/15

श्री रांझासिंह अभिभाषक अपीलार्थी अपील संख्या 128/15

श्री सुभाष मिढढा अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 9

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 08.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण /रेस्पो.संख्या 1 से 8 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 188, 92 ए का पेश निवेदन किया कि वादीगण के पिता व माता के नाम से चक शरकज नहर पक्की के मु.न. 16, 19, 20, 24, 25 की 7.2100 है0

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीगण की माता व पिता का देहान्त हो चुका है। उक्त भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी ब.हि.ब. के खातेदार है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी ने इकबाली जबाव दावा पेश कर वाद स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया जावे।

सुनवाई करने के बाद अधी.न्यायालय ने वाद स्वीकार कर विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने उक्त दोनों अपीलें पेश की है। चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस कियेय जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वार अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण ने जरिये इकरारनामा दिनांक 20.01.1992 को मालासिंह से खरीद की गई है।वादीगण ने वाद में अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही प्रतिवादी से इकबाल जबाव दावा लेकर दावा डिकी करवा लिया। जबकि रेस्पो. द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में अपीलांट के पक्षकार बनाया था । अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है एवं अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि जरिये इकरारनामा से क्रय करना बता रहे है। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता । अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील में मुख्य बिन्दु यह उठाया कि विवादित भूमि जरिये इकरारनामा क्रय कर रखी है इसलिए अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है । इकरारनामा के आधार पर कोई हक व अधिकार राजस्व न्यायालय से नही दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय से ही अपीलार्थीगण अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने पूर्व के वाद में अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया था। जो बाद में वाद पेश किया उसमें पक्षकार नहीं बनाया जबकि इस वाद में भी आवश्यक पक्षकार थे इसलिए अपीलाधीन आदेश से वे प्रभावित पक्षकार है। मात्र इतना लिखने से अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं साबित होते है। अतः धारा 96सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना खारिज करते हुए एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें इसी बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 08.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर